सत्यमेव जयते

भावना सक्सेना
Bhavna Saxena
सदस्य सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Member Secretary &
Chief Executive Officer

CARA

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
Central Adoption Resource Authority
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सं./ No. CARA-MP/8/2024-CARA (e-119509) दिनांक / Date 23.12.2024

Subject: Translation and Circulation of Communication Materials corresponding to Legal Adoption in India-reg.

Dear All,

As you may be aware, CARA is a statutory body under JJ Act 2015 (amended 2021) mandated to inter alia promote in-country adoptions and regulate inter- country adoptions in the country. In order to promote legal adoptions in the country, CARA has developed Protocols on different aspects of adoption in easy and understandable language.

2. In our commitment to promote legal adoptions in India and therefore, the Protocols (Adoptions made simple) have been printed in English and Hindi for wider dissemination amongst its stakeholders such as members of District Child Protection Units (DCPUs), Child Welfare Committees (CWCs), Specialized Adoption Agencies (SAAs), Childcare Institutions (CCIs), Chief Medical Officers (CMOs), District Magistrates (DMs) among others.

3. The pdf copy of the protocols is placed in the website:
https://cara.wcd.gov.in/PDF/Adoption%20Made%20Simple%20-%20Protocols%20(17.11.2024)-compressed.pdf

Meanwhile, the open source (editable) of the file is placed at-
https://drive.google.com/drive/folders/15EsRB1yJTrjEbyzyn-ryraxU7Gkp5x9w? usp=sharing

4. It is therefore requested that material promoting legal adoptions be circulated to all concerned stakeholders to enable them to deal with such issues professionally as well as in a time bound manner. Further, I would be grateful if the above protocols are translated into the vernacular and disseminated widely to popularize the legal process of child adoption in the country.

With warm regards,

Yours sincerely

(Bhavna Saxena)

To,
All Secretaries/ Principal Secretaries
WCD, States and UTs.

Copy to:
i. Member Secretary & CEO, SARA
ii. Nodal Officer of the State Govt.
iii. Programme Manager, SARA

CARA

CARA

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया आसान भाषा में

ADOPTION MADE SIMPLE

सत्यमेव जयते

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

CARA

CARA

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

परिवार का स्नेह व प्यार
हर बच्चे का अधिकार

A LOVING
FAMILY
FOR EVERY
CHILD

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

CARA

दत्तक-ग्रहण
Adoption

'दत्तक-ग्रहण' से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें बच्चा अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से पृथक हो जाता है तथा वह दत्तक-ग्रहण करने वाले माता-पिता की विधिसम्मत संतान बन जाता है और उसे जैविक संतान की भांति ही सभी अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाते हैं।

'Adoption' means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.

फॉस्टर केयर
Foster Care

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को उसके जैविक परिवार के बजाय वैकल्पिक देखरेख में रखने के उद्देश्य से उसे किसी अन्य पारिवारिक घरेलू वातावरण में भेजना; जो ऐसी देखरेख प्रदान करने के लिए चयनित हो, पात्र हो, अनुमोदित हो और जिसका पर्यवेक्षण किया गया हो।

Placement of a child, by the Child Welfare Committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of family, other than the child's biological family, that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care.

फॉस्टर दत्तक-ग्रहण
Foster Adoption

फॉस्टर बच्चे का उसी फॉस्टर परिवार में दत्तक-ग्रहण, जिसके लिए दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) एवं दत्तक-ग्रहण विनियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया हो।

Adoption of a foster child with the same foster family following the procedure laid down in the guidelines and Adoption Regulation.

B-12, डॉ. दुर्गाबाई देशमुख समाज कल्याण भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 (भारत)
B-12, Dr. Durgabai Deshmukh Samaj Kalyan Bhavan, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016 (India)

Toll-free Helpline No: 1800-11-1311 Telephone: 011-26760471, 26760472, 26760473, 26760474
ई- मेल/ E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/ Website: https://cara.wcd.gov.in

हेल्पडेस्क : सभी कार्य दिवसों में प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (सोमवार-शुक्रवार, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
Help Desk : Available between 8:00 AM to 8:00 PM in all working days
(Monday-Friday except Gazetted Holidays)

Message from

CEO, CARA

As you all are aware that Central Adoption Resource Authority (CARA) is a statutory body of Ministry of Women and Child Development (MWCD), Government of India. It functions as the nodal body for adoption of Indian children.

As envisaged in Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,2015 (as amended in 2021), CARA is mandated to promote in-country adoptions; facilitate in-country adoptions; frame regulations on adoption related matters, regulate inter-country Adoptions and function as Central Authority under the Hague Convention for Inter-country Adoptions.

CARA primarily deals with the adoption of Orphan, Abandoned and Surrendered Children through its associated/recognized adoption agencies. Additionally, Relative Adoption, Adoption by Step Parents and Foster Adoption are also being facilitated by CARA.

The adoption process is carried out by CARA in accordance with the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021 and enforced w.e.f. 01-09-2022) and Adoption Regulations, 2022 (notified on 23-09-2022). The entire adoption process is carried out online through the designated portal i.e. Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS).

In this booklet, CARA has prepared and compiled some protocols related to adoption procedure in a simplified manner in order to orient, aware and facilitate the Stakeholders as well as Prospective Adoptive Parents (PAPs).

We look forward for your co-operation to ensure a loving family for each and every child in need of care and protection.

(Bhavna Saxena)

CEO & Member Secretary, CARA

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
CARA

विषय-सूची Contents

क्र. संख्या Sr. No.	विवरण Description	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	Pyramid Chart on Functioning of Child Protection System for Orphan, Abandoned and Surrendered Children	1
2.	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज	2-4
	SAA-CCI Linkage	5-7
3.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत दत्तक-ग्रहण	
	Adoptions under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021)	
	3.1 प्रक्रिया : देश के भीतर दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)	8
	Procedure : In-country Adoption (Orphan, Abandoned and Surrendered Children)	9
	3.2 प्रक्रिया: अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)	10
	Procedure : Inter-country Adoption (Orphan, Abandoned and Surrendered Children)	11
	3.3 प्रक्रिया: देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण	12
	Procedure : In-country Relative Adoption	13
	3.4 प्रक्रिया: अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण	14
	Procedure : Inter-country Relative Adoption	15
	3.5 प्रक्रिया: सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण	16
	Procedure : Adoption by Step-Parent	17

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
CARA

क्र. संख्या Sr. No.	विवरण Description	पृष्ठ संख्या Page No.
4.	पाँच श्रेणियों में बच्चों की पहचान	18-23
	Identification of children in five categories	24-29
5	बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना Children Legally Free for Adoption (LFA) by CWC	
	5.1 अनाथ/परित्यक्त बच्चे	30-31
	Orphan / Abandoned Children	32-33
	5.2 अभ्यर्पित बच्चे	34-35
	Surrendered Children	36-37
6.	बच्चे का रेफरल	
	Referral of Child	
	6.1 सामान्य स्वास्थ्य स्थिति	38
	Normal Health Status	39
	6.2 बच्चे का आरक्षण (विशेष आवश्यकता)	40
	Reservation of Child (Special Needs Status)	41
7.	दत्तक-ग्रहण के संबंध में परामर्श	42-43
	Importance of Adoption Counselling	44-45
8.	'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' का दत्तक-ग्रहण	46-47
	Adopting children having Special Needs	48-49
9.	विच्छिन्नता और विघटन	50-51
	Disruption and Dissolution	52-53

क्र. संख्या Sr. No.	विवरण Description	पृष्ठ संख्या Page No.
10.	"हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत गोद लिए गए बच्चों को माता-पिता द्वारा विदेश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया (17.09.2021 के उपरांत)	54
	Procedure for children adopted under HAMA, 1956 by Parents who desire to relocate the child abroad (Post 17.09.2021)	55
11.	फॉस्टर केयर Foster Care	
	11.1 फॉस्टर केयर की प्रक्रिया	56
	Procedure for Fostering a Child	57
	11.2 पोर्टल पर भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) द्वारा स्व-पंजीकरण के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़।	58
	Documents to be uploaded by PFP during Selfregistration by Prospective Foster Parents (PFPs) on the portal	59
	11.3 भावी फॉस्टर माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड	60
	Eligibility Criteria for Prospective Foster Parents	61
	11.4 प्रोटोकॉल / प्रक्रिया - फॉस्टर केयर से फॉस्टर दत्तक-ग्रहण की ओर- केयरिंग्स	62
	Protocol /Procedure -Foster care leading to Foster Adoption - CARINGS	63

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
CARA

PYRAMID CHART ON FUNCTIONING OF CHILD PROTECTION SYSTEM FOR OAS CHILDREN

LOCAL SAA / CCI / Police

- SAA/CCI- Identification, admission and registration of children in need of care and protection; Preparation of ICP, CSR & MER of child and HSR of PAPs; Assisting CWC for LFA; Providing counselling to children and PAPs; Assisting for adoption order and birth Certificate; Maintaining records
- Police- Police to produce child before CWC, provide clearance for child's LFA

District Level DCPU / CWC / DM

- DCPU- Ensure effective implementation of child protection programs and policies related to children in the district and local level, work under the supervision of DM, head the Adoption committee meeting, inspect institutions, recommend for recognition of SAA to the State Govt. and link SAA-CCI on CARINGS
- CWC- Authorized to dispose cases for care, protection, treatment, development and rehabilitation of CNCP, declare children for LFA
- DM-Responsible for effective implementation of the JJ Act including issue of adoption order.

State SARA

- SARA- Coordinate, support and monitor all the work related to adoption and non - institutional care in the state; Conduct awareness and training for capacity building of stakeholders in the process of adoption; Functions as a State Nodal Body in adoption related matters

Central

- CARA- Nodal body for promoting In-country Adoptions and regulating Inter-country Adoptions

*CARA	- Central Adoption Resource Authority
*CARINGS	- Child Adoption Resource Information and Guidance System
*ICP	- Individual Care Plan
*CSR	- Child Study Report
*MER	- Medical Examination Report
*HSR	- Home Study Report
*PAP	- Prospective Adoptive Parent
*CWC	- Child Welfare Committee

*LFA	- Legally Free for Adoption
*PAP	- Prospective Adoptive Parent
*CWC	- Child Welfare Committee
*LFA	- Legally Free for Adoption
*DM	- District Magistrate
*DCPU	- District Child Protection Unit
*CWC	- Child Welfare Committee

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), अधिनियम 2015 (यथा संशोधित 2021) में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज का प्रावधान है। धारा 66(1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाएँ जिन्हें विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी देखरेख में सभी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को धारा 38 के प्रावधानों, के अनुसार समिति द्वारा रिपोर्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए और विधिक रूप से दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जाए। धारा 66(2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी संस्थाएँ निकटवर्ती विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) के साथ औपचारिक संबंध विकसित करेंगी और दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों का ब्योरा सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों के साथ उस विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA) को प्रस्तुत करेंगी। यह ब्योरा उस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा जो बच्चे के दत्तक -ग्रहण के लिए आवश्यक है।

2. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) के बीच लिंकेज की विस्तृत प्रक्रिया दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 में निर्धारित की गई है। तदनुसार विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं:

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
A	**दत्तक-ग्रहण से पूर्व का चरण Pre-adoption Phase**		
1.	CARINGS पर CCI का पंजीकरण	DCPU द्वारा	DCPU द्वारा
2.	CCI को SAA से लिंक करना	DCPU द्वारा	SARA द्वारा
3.	बच्चों का पंजीकरण (फोटो सहित)	SAA के बच्चे: SAA द्वारा CCI के बच्चे: DCPU द्वारा	CCI के बच्चे: उस जिले के DCPU द्वारा, जहाँ CCI स्थित है
4.	बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) [अनुसूची-II], चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) [अनुसूची-III] को तैयार करना और बाल कल्याण समिति (CWC) के साथ LFA की प्रक्रिया की शुरुआत	SAA और CCI दोनों के बच्चे : SAA द्वारा	CCI के बच्चे: उस जिले के DCPU द्वारा, जहाँ CCI स्थित है

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA isalso located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
5.	बच्चे की फोटो के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR) [अनुसूची-II], चिकित्सा जाँच रिपोर्ट (MER) [अनुसूची-III], LFA प्रमाणपत्र [अनुसूची-I] को CARINGS पर अपलोड करना	SAA और CCI दोनों के बच्चे : SAA द्वारा	CCI के बच्चे : उस जिले के DCPU द्वारा, जहाँ CCI स्थित है
6.	यदि बच्चे को विशेष आवश्यकताएँ हैं, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा वर्गीकरण	SAA और CCI दोनों के बच्चे : उस जिले के CMO द्वारा, जहां SAA स्थित है।	CCI के बच्चे : उस जिले के CMO द्वारा, जहां CCI स्थित है।
B	**दत्तक-ग्रहण का चरण Adoption Phase**		
7.	बच्चे का रेफरल Referral of the child	SAA पोर्टल के माध्यम से SAA और CCI दोनों के बच्चे : दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी।	SAA पोर्टल के माध्यम से CCI के बच्चे : दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी।
8.	7 दिन (7 days), विशेष आवश्यकताएँ (Special Needs), तत्काल प्लेसमेंट (IP) के टैब से बच्चे का सीधा आरक्षण	SAA और CCI दोनों के बच्चे : दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी।	CCI के बच्चे : दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी।
9.	बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का दौरा	SAA या CCI	CCI
10.	दत्तक-ग्रहण समिति के सदस्य	i. SAA की ओर से दत्तक-ग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता ii. CCI का बाल रोग विशेषज्ञ या विजिटिंग डॉक्टर iii. जहाँ CCI स्थित है, वहाँ के DCPU का पदाधिकारी iv. CCI का प्रतिनिधि, यदि बच्चा SAA से लिंक है	I. SAA की ओर से के दत्तक-ग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता ii. CCI का बाल रोग विशेषज्ञ या विजिटिंग डॉक्टर iii. जहाँ CCI स्थित है, वहाँ के DCPU का पदाधिकारी iv. CCI का प्रतिनिधि, यदि बच्चा SAA से लिंक है

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA isalso located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
11.	दत्तक-ग्रहण समिति (ACM) की बैठक, मिलान और कार्यवृत्त	पूरी प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी	पूरी प्रक्रिया SAA द्वारा चलाई जाएगी
12.	दत्तक पूर्व पोषण देखरेख (PAFC)	SAA के माध्यम से	SAA के माध्यम से
13.	CARINGS पर दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया का पूरा अद्यतन	SAA द्वारा	SAA द्वारा
C	**दत्तक-ग्रहण के बाद का चरण Post-adoption Phase**		
14.	दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए आवेदन दाखिल करना	**देश के भीतर (In-country)** PAFC के बाद **अंतर-देशीय (Inter-country)** अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी होने के बाद SAA,DCPU के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को आवेदन करेगा जहाँ बच्चा स्थित है (यदि लागू हो तो CCI सह-आवेदक होगी)	**देश के भीतर (In-country)** PAFC के बाद **अंतर-देशीय (Inter-country)** अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी होने के बाद SAA,DCPU के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को आवेदन करेगा जहाँ बच्चा स्थित है (यदि लागू हो तो CCI सह-आवेदक होगी)
15.	दत्तक-ग्रहण आदेश	दत्तक-ग्रहण आदेश उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ बच्चा स्थित है	दत्तक-ग्रहण आदेश उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ बच्चा स्थित है
16.	जन्म प्रमाण-पत्र	SAA द्वारा आवेदन किया जाएगा (उस जिले में जहाँ बच्चा स्थित है)	SAA द्वारा आवेदन किया जाएगा (उस जिले में जहाँ बच्चा स्थित है)
17.	दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई	SAA या DCPU जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार की थी	SAA या DCPU जिसने गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार की थी
18.	दत्तक-ग्रहण का शुल्क	SAA और CCI के बीच बाँटा जाएगा।	SAA और CCI के बीच बाँटा जाएगा।

SAA–CCI Linkage

1. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children), Act 2015 (amended in 2021) has a provision of SAA-CCI linkage. The section 66(1) stipulates that all the institutions registered under this act, which may not have been recognized as Specialized Adoption Agencies, shall also ensure that all orphan, abandoned or surrendered children under their care are reported, produced and declared legally for adoption, by the Committee as per the provisions of section 38. Section 66(2) states that all institutions referred to in sub-section (1) shall developed formal linkages with nearby Specialized Adoption Agency and shall furnish details of the children declared legally free for adoption to that Specialized Adoption Agency along with all relevant records in the manner as may be prescribed, for the placement of such children in adoption.

2. The detailed procedure of SAA-CCI linkage has been laid down in the Adoption Regulations 2022. Accordingly, the role and responsibilities of different stakeholders are given below:

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCIहै किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
A	**Pre-adoption Phase**		
1.	Registration of CCI on CARINGS	by DCPU	by DCPU
2.	Linking of CCI with SAA	by DCPU	by SARA
3.	Registration of children (with photo)	Children of SAA : by SAA Children of CCI : by DCPU	Children of CCI: by DCPU of concerned district where CCI is
4.	Preparation of CSR [Schedule-II], MER [Schedule-III] and initiation of LFA process with CWC	Children of SAA & CCI both: by SAA	Children of CCI: by DCPU of concerned district where CCI is located

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
5.	Uploading of CSR (Schedule-II), MER (Schedule-III), LFA certificate (Schedule-I) along with photograph of childon CARINGS	Children of SAA & CCI both: by SAA	Children of CCI: by DCPU of concerned district where CCI is located
6.	If child is having special needs, the classification by CMO	Children of SAA & CCI : by CMO of concerned district, where SAA is located	Children of CCI: by CMO of concerned district, where CCI is located
B	**Adoption Phase**		
7.	Referral of the child	Through SAA portal Children of SAA & CCI: Adoption process to be carried out by linked SAA	Through SAA portal Children of CCI: Adoption process to be carried out bylinked SAA
8.	Direct reservation of the child from the tabs of 7 day, Special Needs, Immediate Placement	Children of SAA & CCI: Adoption process to be carried out by linked SAA	Children of CCI: Adoption process to be carried out by linked SAA
9.	Visit of PAPs to see the child physically	SAA or CCI	CCI
10.	Adoption Committee member	i. Adoption in-charge or social worker of SAA ii. Pediatrician or visiting doctor of CCI iii. Official from DCPU where the CCI is located iv. Representative of CCI, in case child is linked with SAA	i. Adoption in-charge or social worker of SAA ii. Pediatrician or visiting doctor of CCI iii. Official from DCPU where the CCI is located iv. Representative of CCI, in case child is linked with SAA

क्र. सं. S.No.	चरण Steps	जिस जिले में SAA और CCI दोनों हैं If CCI is located in the district where SAA is also located (Same District)	जिस जिले में CCI है किंतु SAA नहीं है If CCI is not located in the district where SAA is located (NOT in same district)
11.	Meeting, Matching and Minutes of ACM	Entire process to be carried out by SAA	Entire process to be carried out by SAA
12.	Pre-adoption Foster Care (PAFC)	Through SAA	Through SAA
13.	Complete updation of adoption process on CARINGS	by SAA	by SAA
C	**Post-adoption Phase**		
14.	Filing of Adoption Order Application	In-country After PAFC Inter-country After issuance of NOC Application to be filed by SAA to DM of the district through DCPU where the child is located (CCI shall be co-applicant, if applicable)	In-country After PAFC Inter-country After issuance of NOC Application to be filed by SAA to DM of the district through DCPU where the child is located (CCI shall be co-applicant, if applicable)
15.	Adoption Order	Adoption order: by DM of district where child is located	Adoption order: by DM of district where child is located
16.	Birth Certificate	To be applied by SAA (in the concerned district where child is located)	To be applied by SAA (in the concerned district where child is located)
17.	Post adoption follow-up	SAA or DCPU who has conducted the HSR	SAA or DCPU who has conducted the HSR
18.	Adoption fee	Shared between SAA and CCI	Shared between SAA and CCI

प्रक्रिया : देश के भीतर दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

1 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग-1)।

2 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 60 दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना (अनुसूची VII)।

3 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे वे 48 घंटों के भीतर आरक्षित कर सकते हैं।
{भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) इन 3 टैब से बच्चे को सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं : (i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) /अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) के लिए 7 दिन।

4 दत्तक-ग्रहण समिति की बैठक : आरक्षित किए गए बच्चे के साथ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की उपयुक्तता का आकलन करना। बैठक का कार्यवृत्त अनुसूची XXVII के अनुसार तैयार किया जाना।

5 बच्चे को आरक्षित करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का आरक्षित बच्चे से मिलान एवं उनके द्वारा बच्चे को स्वीकृत किया जाना।
दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) : भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा बच्चे को अपने साथ ले जाना (अनुसूची VIII)।

6 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जाँच करना (अनुसूची IX भाग-1 और XXVIII)।

7 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

8 दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) की तिथि से 2 वर्ष तक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)

- **संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय III**
- **अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)**
  Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

CARA

PROCEDURE : IN-COUNTRY ADOPTION

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

1 Registration by PAPs on Designated Portal & uploading of documents within 30 days (Schedule VI Part-1)

2 Home Study of PAPs by SAA/ DCPU within 60 days & uploading the same on portal (Schedule VII).

3 Online referral of child to PAPs which is to be reserved by PAPs within 48 hours.
{PAPs can also reserve child directly through Immediate Placement/Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab}

4 Adoption Committee Meeting: Assessment of suitability of PAPs with the child reserved. Minutes of the meeting as per Schedule XXVII.

5 Matching of reserved child & acceptance by PAPs on Portal within 30 days from date of reservation of child.
PAFC: Physical custody of child (Schedule VIII)

6 Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-1 & XXVIII).

7 DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII).
DCPU uploads Adoption Order on Portal.

8 Post Adoption Follow-up by SAA / DCPU for 2 years w.e.f. the date of PAFC (Schedule XII)

Reference : Chapter III of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PAFC : Pre-AdoptionFosterCare | DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Child Protection Unit |
NRI : Non-Resident Indian OAS: Orphan, Abandoned or Surrendered | OCI: Overseas Citizen of India |
PAP : Prospective Adoptive Parents | SAA: Specialised Adoption Agency

प्रक्रिया : अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे)

(ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

1. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।

2. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI- भाग 2)।

3. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के दस्तावेजों की जाँच करना और उनका अनुमोदन करना।

4. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे 96 घंटे के भीतर आरक्षित और 30 दिनों के भीतर स्वीकार किया जा सकता है।
{भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) के माध्यम से इन 3 टैब के द्वारा बच्चों को सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं :(i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) /अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों (OCI) के लिए 7 दिन}

5. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।

6. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करना, बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो चुके हों (अनुसूची X)।

7. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जाँच करना (अनुसूची IX भाग-2 और अनुसूची XXIX) ।

8. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

9. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 3 दिनों के भीतर पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना (अनुसूची XI)।

10. बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकास वीज़ा।

11. प्राप्तकर्ता देश में बच्चे के आने की तिथि से 2 वर्ष तक प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)।

संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय IV
अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : INTER-COUNTRY ADOPTION

ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN

1. Home Study & registration of NRI, OCI & Foreign PAPs on Designated Portal by AFAA/CA/IDM.
2. AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal (Schedule VI- Part 2).
3. Scrutiny of documents & approval of PAPs by CARA.
4. Online referral of the child to PAPs through AFAA/CA/IDM and the child to be reserved within 96 hours & accepted within 30 days on the Portal.
   {PAPs through AFAA/CA/IDM can also reserve child directly through Immediate Placement/ Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab}.
5. AFAA/CA/IDM uploads documents as per Article 5/17 of Hague Convention.
6. CARA issues NOC within 10 days subject to receiving of requisite documents (Schedule X).
7. Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-2 & Schedule XXIX).
8. DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII).
   DCPU uploads Adoption Order on Portal.
9. CARA issues Conformity Certificate within 3 days (Schedule XI).
10. Passport & Exit Visa for the child
11. Post-Adoption Follow-up by AFAA/CA/IDM for 2 years w.e.f. the date of arrival of child in receiving country (Schedule XII).

Reference : Chapter IV of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA: AUTHORISED FOREIGN ADOPTION AGENCIES | CA: CENTRAL AUTHORITY | CARA: CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY | DCPU: DISTRICT CHILD PROTECTION UNIT | DM: DISTRICT CHILD PROTECTION UNIT | IDM: INDIAN DIPLOMATIC MISSIONS | NOC: NO OBJECTION CERTIFICATE | NRI: NON-RESIDENT INDIAN |OAS: ORPHAN, ABANDONED OR SURRENDERED | OCI: OVERSEAS CITIZEN OF INDIA | PAP: PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS | SAA: SPECIALISED ADOPTION AGENCY

प्रक्रिया : देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण

1. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI- भाग 4)।

2. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ सत्यापन अपलोड करना (अनुसूची XXI)।

3. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा आवेदन को 10 दिनों के भीतर फिर से सत्यापित करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।

4. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनुमोदन-पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना और उसे अपलोड करना (अनुसूची XXV प्रारूप-1)।

5. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा [जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से] 10 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग-4 और अनुसूची XXX)।

6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

- **संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 54**
- **अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)**
  Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : IN-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

1. Registration by PAPs on Designated Portal and uploading of documents within 30 days (Schedule VI- Part 4).
2. DCPU uploads verification along with Family Background Report on Portal within 30 days (Schedule XXI).
3. SARA re-verifies application and uploads it on Portal within 10 days.
4. CARA issues & uploads Pre-Approval Letter within 10 days (Schedule XXV Format-1).
5. The PAPs (through DCPU) file adoption application within 10 days (Schedule IX Part-4 & Schedule XXX).
6. DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII) DCPU uploads Adoption Order on Portal.

Reference : Regulation 54 of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA : Central Adoption Resource Authority | DCPU : District Child Protection Unit |
DM : District Magistrate | PAP : Prospective Adoptive Parents |
SARA : State Adoption Resource Agency

प्रक्रिया : अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तक-ग्रहण

1. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) एवं भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) करना और अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर उनका पंजीकरण करना।
2. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों को अपलोड करना (अनुसूची VI – भाग-3)।
3. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जाँच करना।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करना (अनुसूची XXI)
5. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) द्वारा आवेदन का 10 दिनों के भीतर फिर से सत्यापन करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।
6. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनुमोदन-पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना और उसे अपलोड करना।
7. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।
8. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा [जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से] कारा के अनुमोदन की तिथि से 10 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग-3 और अनुसूची XXXI)।
9. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना। (अनुसूची XXXIII) ।
10. दत्तक-ग्रहण आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।
11. बच्चे के लिए पासपोर्ट और निकासी वीज़ा।

संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का विनियम 56 से 60
अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : INTER-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

1. Home Study & Registration of NRI & OCI PAPs by AFAA/CA/IDM
2. AFAA/CA/IDM uploads documents on Portal within 30 days (Schedule VI-Part 3)
3. Initial Scrutiny of documents by CARA
4. DCPU uploads verification report along with Family Background Report within 30 days (ScheduleXXI)
5. SARA re-verifies application & uploads it on Portal within 10 days
6. CARA issues and uploads Pre-Approval Letter within 10 days
7. AFAA/CA/IDM uploads Documents as perArticles 5/17 of Hague Convention.
8. PAPs (through DCPU) files Adoption Application within 10 days from the date of CARA's approval (Schedule IX Part-3 & Schedule XXXI)
9. DM issues Adoption Order within 60 Days (Schedule XXXIII)
10. CARA issues NOC & Conformity Certificate within 10 days from issuance of adoption order
11. Passport & Exit Visa for child

Reference : Regulation 56-60 of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA : Authorised Foreign Adoption Agency | CA : Central Authority | CARA: Central Adoption Resource Authority | DCPU : District Child Protection Unit | DM : District Magistrate | IDM : Indian Diplomatic Mission | NOC : No Objection Certificate | NRI : Non-Residents of India |OCI: Overseas Citizen of India | PAPs : Prospective Adoptive Parents | SARA : State Adoption Resource Agency

प्रक्रिया : सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण

1. सौतेले माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI-भाग-5)।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा सत्यापन रिपोर्ट को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड करना।
3. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) द्वारा आवेदन को 10 दिनों के भीतर फिर से सत्यापित करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना।
4. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा 10 दिनों के भीतर अनुमोदन-पूर्व पत्र (Pre-Approval Letter) जारी करना (अनुसूची XXV प्रारूप-2)।
5. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा [जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से] 10 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण का आवेदन दाखिल करना (अनुसूची IX भाग-5 और अनुसूची XXXII) ।
6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII) ।
   जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

- **संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022का विनियम 55**
- **अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)**
  Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PROCEDURE : ADOPTION BY STEP PARENT

1. Registration by Step Parent on Designated Portal & uploading of documents within 30 days (Schedule VI-Part 5)
2. DCPU uploads verification report on Portal within 30 days
3. SARA re-verifies application and uploads it on Portal within 10 days
4. CARA issues a Pre-Approval Letter within 10 days (Schedule XXV Format-2)
5. The PAPs (through DCPU) file adoption application within 10 days (Schedule IX Part-5 & Schedule XXXII)
6. DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII).
   DCPU uploads Adoption Order on Portal

Reference : Regulation 55 of Adoption Regulations, 2022
Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA : Central Adoption Resource Authority | DCPU : District Child Protection Unit |
DM : District Magistrate | PAP : Prospective Adoptive Parents |
SARA : State Adoption Resource Agency

पाँच श्रेणियों में बच्चों की पहचान

1 दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 और मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन्स (Model Foster Care Guidelines) में बच्चों के हितों को केंद्र में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे 'देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों (CNCP)' को दत्तक-ग्रहण में दिया जा सके, फॉस्टर केयर (Foster Care) में दिया जा सके तथा फॉस्टर केयर (Foster Care) का बच्चा आगे फॉस्टर दत्तक-ग्रहण (Foster Adoption) में भी जा सके।

2 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अदालती मामले W.P.C No.1003/2021 में दिनांक 20-11-2023 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि वे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित श्रेणी के बच्चों की पहचान करने के लिए हर 2 महीने में अभियान चलाएँ। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) में रहने के लिए विवश बच्चों की पहचान की जाए तथा उन बच्चों की भी पहचान की जाए जो इन संस्थानों तक पहुँचे ही नहीं हैं। न्यायालय ने सभी बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन बच्चों को 5 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : अनाथ (Orphan), परित्यक्त (Abandoned), अभ्यर्पित (Surrendered), नो विज़िटेशन (No Visitation) और अनफ़िट गार्डियन्स (Unfit Guardian)।

3 ऐसे बच्चे जिनसे कोई मिलने नहीं आता (No Visitation) या जिनके माता-पिता/ संरक्षक (guardian) अनफ़िट हैं, उनका पता लगाने के लिए गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस कार्य के लिए विभिन्न हितधारकों (stakeholders) जैसे पुलिस (Police), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्था (CCI) के बीच सहयोग व समन्वय की ज़रूरत होती है।

बच्चों का व्यापक वर्गीकरण / Broad classification of children

4 बच्चों की पाँच श्रेणियाँ जहाँ उन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो उनके परिवार और संरक्षक की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, नीचे बताई गई हैं:

a) 'अनाथ (Orphan)' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है : (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है। [धारा 2 (42) *]

b) 'परित्यक्त (Abandoned) बालक' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जाँच के बाद समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1) *]

c) 'अभ्यर्पित (Surrendered) बच्चा' - वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति (बाल कल्याण समिति) को त्याग दिया गया है तथा समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है। [धारा 2 (60) *]

d) 'नो विज़िटेशन (No Visitation)' से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके संरक्षक (guardian) नहीं हैं तथा वह बच्चा जिससे उसके संरक्षकों का कई वर्षों से संपर्क नहीं हुआ है [नियम 17 (x) **]

e) अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे –
"Children having Unfit Guardian"-

(i) जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है या वह किसी घातक या असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) उसकी देखभाल करने के लिए अयोग्य एवं अक्षम हैं, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है [धारा 2(14) (iv)*];

(ii) जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) तो हैं परंतु बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण के लिए समिति या बोर्ड द्वारा उन्हें अयोग्य या अक्षम पाया जाता है [धारा 2(14)(v)*];

(iii) अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे' से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) बच्चे का पालन-पोषण और देखभाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, वे मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन्हें अपनी स्वयं की देखभाल की आवश्यकता है, जो मानसिक रूप से अक्षम हैं आदि। ऐसे सभी माता-पिता के बच्चों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

* किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021)
**किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022

'नो विज़िटेशन' की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
Procedure to be followed in case of Children with No Visitation

5 ऐसे बच्चों से जुड़े जटिल मुद्दों के निवारण के लिए जिस समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, वह इसकी प्रक्रिया में निहित है। यह संदर्भ विशेष, क्षेत्राधिकार और कानूनी ढांचे पर निर्भर है। बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसकी खुशहाली के आकलन, हस्तक्षेप, सहायता एवं एडवोकेसी को विभिन्न चरणों में प्राथमिकता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

a) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) के केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी नो विज़िटेशन के संभावित मामलों की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) को देंगे। यह सूचना व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP) के माध्यम से नवीनतम स्थिति के साथ दी जाएगी।

b) यदि एक वर्ष से अधिक समय से बच्चे से मिलने कोई नहीं आता है (no visitation) तो यह चिंताजनक स्थिति है तथा उसकी बारीकी से जाँच करके यह पता लगाए जाने की ज़रूरत है कि बच्चे के हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही।

c) बाल कल्याण समिति (CWC) बच्चे के परिवार की परिस्थिति का जायज़ा लेने तथा बच्चे से मिलने न आने के कारणों का पता लगाएगी। इसके लिए वह केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी को निर्देश देगी। इस आकलन के आधार पर यदि संभव होगा तो बच्चे को परिवार से मिलाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे।

d) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR-फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP-फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History-फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

e) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा कोई निर्णय करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है जैसे बच्चे की आयु, जैविक या विस्तारित परिवार (extended family) द्वारा विश्वासपूर्ण रिश्ता (healthy relationship) बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास, वैकल्पिक देखरेख (alternative care) के लिए जैविक माता–पिता या संरक्षक (guardian) की सहमति तथा भावी फॉस्टर परिवार की उपलब्धता।

f) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता या संरक्षक (guardian) को बच्चे सेमिलने के लिए प्रेरित किया जाए, ज़रूरी रिकॉर्ड रखे जाए, जैविक माता-पिता या संरक्षक (guardian) को यह जानकारी दी जाए कि यदि बच्चा लंबे समय तक संस्था में रहता है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? माता- पिता या संरक्षक (guardian) को तथा बड़े बच्चों को परामर्श सेवा (counselling services) दी जाए ताकि लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी जा सके। इनमें बच्चों को परिवार में दोबारा मिलाना या फॉस्टर केयर एवं दत्तक-ग्रहण के माध्यम से उन्हें वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) प्रदान करना शामिल है।

g) बाल देखरेख संस्थाओं(CCIs) द्वारा नो विज़िटेशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर-संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

अनफ़िट गार्डियन्स /पेरेंट की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
Procedure to be followed in case of Children having Unfit Guardian/ Parent

6 ऐसे बच्चों की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की कानूनी स्थिति क्या है, माता–पिता / संरक्षक (guardian) के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय किया जाए, बच्चे की परिवार में वापसी किया जाना तथा गैर-संस्थाकरण देखरेख के लिए समय–समय पर नियमित समीक्षा करना। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है :

a) यदि बच्चे के जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian), जो लागू हो, मानसिक रूप से नि:शक्त हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण संस्था (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) द्वारा मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया जाएगा ताकि जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) को उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर अयोग्य/अक्षम (unfit) घोषित किए जाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सके।

b) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को निदेश दिया जाएगा :- मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय करने के लिए; जैविक परिवार और बड़े बच्चों को परामर्श (counselling) प्रदान करने के लिए; तथा अन्य कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसे समिति उपयुक्त समझे।

c) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्र की जाएगी ताकि उन्हें संबंधित कारणों से अयोग्य /अक्षम (unfit) घोषित किया जा सके। ये कारण हो सकते हैं :- बच्चे के साथ उनका दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, बच्चे की देखरेख में उनकी असमर्थता या अनिच्छा तथा उनके द्वारा मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन।

d) यदि जैविक माता–पिता में से कोई एक अयोग्य /अक्षम (unfit) पाया जाए तो बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को परिवार से मिला दिया जाए तथा परिवार को बनाए रखने का प्रयास किया जाए।

e) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता / संरक्षक (guardian) को परामर्श (counselling) सेवा प्रदान की जाए ताकि वे बच्चे के पुनर्वास (rehabilitation) के लिए बच्चे का अभ्यर्पण (surrender) कर सकें। साथ ही बड़े बच्चे को भी परामर्श (counselling) सेवा प्रदान करें ताकि उसे फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण के माध्यम से वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) के लिए तैयार किया जा सके।

f) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR - फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP - फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History - फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

g) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) द्वारा अनफ़िट गार्डियन्स/ पेरेंट्स की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर-संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

* किशोर न्याय अधिनियम 2015 (यथासंशोधित 2021 की धारा 2(21) के अनुसार बाल देखरेख संस्था से अभिप्राय विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) से भी है।

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (MHCA), 2017 की धारा 2 (1) (s) में परिभाषित किया गया है- "मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किंतु इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है"।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) की धारा 38 (3) के अनुसार "मंदबुद्धि माता-पिता के बच्चे या यौन-उत्पीड़न के शिकार अवांछित बच्चे के संबंध में किसी अन्य विधि में शामिल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे बच्चे को समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जा सकेगा"।

दत्तक–ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 6 (18) के अनुसार "बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी"।

Identification of children in five categories

1 Adoption Regulations 2022 and Model Foster Care Guidelines provide systematic and child centric approach to place a child in need of care and protection in adoption, foster care as well as foster care leading to foster adoption.

2 Hon'ble Supreme Court of India in the matter of W.P.C No(s).1003/2021 on 20-11-2023 directed States/UTs to carry out identification drive every two months to identify children in the orphan, abandoned and surrendered(OAS) category and identify children languishing in Child Care Institutions (CCIs)*and those not reaching CCIs and ensure their registration online. The children may be classified into five categories, i.e. orphan, abandoned, surrendered, unfit guardian and children with no visitations.

3 Finding children who have no visitation or whose parents are unfit takes a thorough approach, which usually entails cooperation amongst several stakeholders such as the Police, Child Welfare Committee (CWC), District Child Protection Unit (DCPU), Specialized Adoption Agency (SAA) and Child Care Institution (CCI) among others.

Broad classification of children

4 The five categories of children where they may find themselves in need of care and protection affecting their family dynamics or guardianship arrangements are stated below:

a) 'Orphan' means a child – (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child; [Section 2(42) *]

b) ‘Abandoned Child’ means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee (Child Welfare Committee) after due inquiry; [Section 2(1) *]

c) ‘Surrendered Child’ means a child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee (Child Welfare Committee), on account of physical, emotional, and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee (Child Welfare Committee); [Section 2(60) *]

d) ‘No Visitation’ – Children are having no guardian and those who are not in contact with their guardians for several years [Rule 17 (x) **].

e) “Children having Unfit Guardian”-

(i) who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the Board or the Committee [Section 2(14) (iv)*];

(ii) who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated, by the Committee or the Board, to care for and protect the safety and well-being of the child [Section [2(14) (v)*];

(iii) “children having unfit guardian” means whose parent or guardian is unable or unwilling for parenting, unable or unwilling to take care of the child and severe cases of substance abuse, known to have abused or neglected the child, having criminal record, in need of care themselves, mentally unsound etc. Children of all such parents shall be classified under this category.

*Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021)
**Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022

Procedure to be followed in case of Children with No Visitation

5 A holistic approach addressing the complex issues surrounding such children is reflected in the procedure, which is contingent upon the particular context, jurisdiction, and legal frameworks in place. Assessment, intervention, support, and advocacy for the child's best interests and well-being are prioritised in all the steps mentioned below:-

a) Case workers or child welfare officers at Child Care Institutions (CCIs) shall report potential cases of no visitation to the District Child Protection Unit (DCPU) and CWC through Individual Care Plans (ICPs) with updated status.

b) Lack of visitation for one year raises concerns and it requires closer scrutiny to determine if the child's welfare is being compromised.

c) The Child Welfare Committee (CWC) initiates an assessment by instructing case workers or child welfare officers to evaluate the family's circumstances and reasons for the lack of visitation and accordingly, interventions may be provided to facilitate reunification if possible.

d) The CWC decides the legal status of such children based on necessary documents like Social Investigation Report (SIR- Form 22), Individual Care Plan (ICP- Form 7), and the child's case history (Form 43) prepared by case workers or child welfare officers.

e) The CWC considers various factors such as the child's age, efforts of the biological or extended family to maintain a healthy relationship, consent of the biological parent or guardian for alternate care, and availability of prospective foster families before making any decision.

f) CCIs and DCPU encourage visitation of parent(s) or guardian, keep pertinent records, and educate biological parents or guardians about the negative effects of long-term institutionalisation on the child; offer counselling services to parents or guardians and older children to enable them to take informed decisions which may include family reunification or alternate family care through foster care and adoption.

g) CCIs shall provide details of children under no visitation category to the concerned DCPU for registration on the designated portal for maintaining accurate records and monitoring.

h) The CWC conducts mandatory quarterly reviews based on status reports prepared by case workers or child welfare officers to assess progress and for their early deinstitutionalisation.

Procedure to be followed in case of Children having Unfit Guardian/ Parent

6 The following process may be adhered to identify children with unfit guardians, with a focus on determining the child's legal status, coordinating with medical boards for assessments of the parent's/guardian's fitness, restoring the child, and conducting routine reviews for deinstitutionalisation:-

a) If the child's biological parents/ guardians (wherever applicable) are mentally challenged or mentally ill, the Specialised Adoption Agency (SAA) or Child Care Institution (CCI) shall coordinate with the medical board to obtain a certificate declaring the biological parent/guardian unfit based on the severity of the disease.

b) The CWC directs the District Child Protection Unit (DCPU) to facilitate coordination with the medical board, counselling of the biological family and older children, and any other tasks deemed appropriate by the Committee.

c) The CWC gathers pertinent information pertaining to the biological parent/ guardian through different means to declare them unfit for reasons, i.e. abuse and neglect of the child, having a criminal record, unable or unwilling to take care of the child and severe cases of substance abuse.

d) The CWC ensures reunification and family preservation efforts if one of the biological parents is found unfit.

e) CCIs and DCPU offer counselling services to parents or guardians to surrender the child for rehabilitation and simultaneously counsel older children to prepare them for alternate family care through foster care and adoption.

f) The CWC decides the legal status of such children based on necessary documents like Social Investigation Report (SIR- Form 22), Individual Care Plan (ICP- Form 7), and the child's case history (Form 43) prepared by case workers or child welfare officers.

g) CCIs shall provide details of children under unfit parent/guardian category to the concerned DCPU for registration on the designated portal for maintaining accurate records and monitoring.

h) The CWC conducts mandatory quarterly reviews based on status reports prepared by case workers or child welfare officers to assess progress and for their early deinstitutionalisation.

* Child Care Institution (CCI) also means Specialised Adoption Agency as mentioned in section 2(21) of the JJ Act 2015,(amended in 2021)

Section 2(1)(s) of the Mental Healthcare Act (MHCA) 2017 defines – "Mental illness as substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs but does not include mental retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub normality of intelligence".

Section 38(3) of the JJ Act, 2015 (amended in 2021) provides that "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force a child of a mentally retarded parents or a unwanted child of victim of sexual assault, such child may be declared free for adoption by the Committee, by following the procedure under this Act".

Regulation 6(18) of Adoption Regulations 2022 provides that "The procedure for declaring a child of parents with mental illness or intellectual disability as legally free for adoption by the Child Welfare Committee shall be done on the basis of a certificate reflecting mental disability of the parents from the medical board constituted by the Central Government or the State Government, as the case may be, as per the laws established by the Government of India, with respect to the same".

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना।

अनाथ/परित्यक्त बच्चा
(Orphan/Abandoned Child)

(धारा 31, 32, 36 और 38; नियम 19 और विनियम 6)

"अनाथ" (Orphan) से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है - (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं हैं [धारा 2 (42)]।

"परित्यक्त"(Abandoned) बालक से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जाँच के बाद समिति द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है [धारा 2 (1)]।

1 जिस बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता (CNCP) है, उसे धारा 31(1) में उल्लिखित अधिकारियों / पदाधिकारियों / व्यक्तियों द्वारा 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना (फार्म 17)। इसके अतिरिक्त, इसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में प्रस्तुत किया जाना।

2 बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) को अंतरिम देखरेख /अल्पकालिक व्यवस्था (प्लेसमेंट) का आदेश जारी करना [फॉर्म 18]।

3 बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा 15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार और जमा करने का कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना (फॉर्म 22)।

4 बालक का विवरण 3 दिनों के भीतर विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर अपलोड किया जाना।

5 जैविक माता-पिता / विधिक संरक्षकों (Guardian) का पता लगाना:-

क) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को 3 दिनों के भीतर उस स्थान के राष्ट्रीय समाचार पत्र में बच्चे के विवरण / तस्वीरों को प्रकाशित करने का निर्देश देना, जहां से बच्चा पाया गया था। यदि बच्चा किसी अन्य राज्य से है, तो प्रकाशन बच्चे के ज्ञात मूल स्थान में वहाँ की स्थानीय भाषा में किया जाएगा। इसके साथ ही विवरण को "ट्रैक चाइल्ड या खोया पाया पोर्टल" पर अपलोड किया जाएगा।

5

ख) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ग) बच्चे को प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बाल देखरेख संस्था (CCI) / विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अंतरिम देखरेख के दौरान बालक द्वारा साझा की गई जानकारी के साथ-साथ उन व्यक्तियों का विवरण भी जिन्होंने बच्चे को लेने के लिए संपर्क किया था। (बड़े बच्चे के मामले में, यदि बच्चा कोई जानकारी साझा करता है तो उस स्थान पर स्पॉट विजिट किया जाना।)

घ) यदि जैविक माता-पिता का पता लगाने की रिपोर्ट निम्नलिखित अवधि में पुलिस से प्राप्त नहीं होती है तो 'माता-पिता को पता न लगने योग्य' समझा जाएगा :

(i) बच्चा 0 -2 वर्ष = 2 महीने (ii) 2 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा = 4 महीने

6

बिंदु 5 (घ) में उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के बाद 3 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना (अनुसूची 1) ।

7

सहोदर /जुड़वाँ बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा एक ही आदेश जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे से संबंधित जाँच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता-पिता के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी- [धारा 38 (1)]

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

- 'धारा" का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) से है।
- नियम' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथा संशोधित 2022) से है।
- 'विनियम' का संबंध दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 से है।

Child Legally Free for Adoption (LFA) by CWC

ORPHAN/ ABANDONED CHILD

(Section 31 ,32 ,36 & 38 ; Rule 19 and Regulation 6)

"Orphan" means a child— (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian ; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child [Section 2 (42)] .

"Abandoned Child" means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee after due inquiry [Section 2 (1)].

1 Production of child in need of care and protection (CNCP) before CWC within 24 hrs. by officials / officer bearers /individuals mentioned in Section 31 (1). [Form 17]. Additionally, the Copy of the report to be submitted before local police station within 24 hrs.

2 Interim care/short term placement order by CWC either to a SAA or a CCI [Form 18].

3 CWC to assign a social worker/case worker/child welfare officer to conduct and submit the Social Investigation Report within 15 days [Form 22].

4 Details of the child to be uploaded on the Designated Portal by SAA /DCPU within 3 Days.

5 Tracing out the biological parents/legal guardians

a) CWC to direct DCPU to advertise the particulars/photographs of the child in national newspaper where the child was found within 3 days. In case child is from another State, the publication shall be done in the known place of origin of the child in local language. Simultaneously, the data to be uploaded on Track Child or Khoya Paya portal.

5

b) DCPU to submit a report to CWC within 30 days from the date of production of the child

c) CCI/SAA to submit report to CWC within 30 days from the date of production of child comprising of information shared by the child during the interim care along with details of persons who approached to claim the child. (In case of older child, spot visit to be done to the place, if child shares any details)

d) Non-receipt of report from the local police regarding the traceability of biological parents as per the specifications given below shall be deemed non-traceable:
i. Child 0 -2 years= 2 months ii. Child above 2 years = 4 months

6

Declaring the child legally free for adoption (Schedule I) by CWC within 3 days after the expiration of stipulated timeline referred in point 5 (d)

7

Single order to be passed by CWC in case of siblings/twins.

It may be noted that no First Information Report (FIR) shall be registered against any biological parent in the process of inquiry related to abandoned or surrendered child. [Section 38 (1)]

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee | SAA: Specialised Adoption Agency |
DCPU: District Child ProtectionUnit | CCI: Child Care Institution

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021)
'Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022)
'Regulations' related to Adoption Regulations 2022

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना

अभ्यर्पित बच्चा
(Surrendered Child)
(धारा 31, 35 और 38;
नियम 19 और विनियम 7 और 39)

वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक (Guardian) द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति को त्याग दिया गया है तथा समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है।[धारा 2 (60)]

1 माता-पिता या संरक्षक बच्चे को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

2 माता-पिता / संरक्षकों (guardians) [धारा 12 (31) में परिभाषित संरक्षक] को परामर्श देना ताकि उन्हें बच्चे को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

3 बच्चे/बच्चों को प्रस्तुत किए जाने के दिन ही जैविक माता-पिता/संरक्षक (guardian) द्वारा अभ्यर्पण विलेख (Surrender deed) निष्पादित किया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख की एक प्रतिलिपि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता / व्यक्ति को भी दी जाएगी) [अनुसूची V] ।

क) महिला जैविक माता/अविवाहित माताके मामले में अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति (CWC) की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जाएगा (यदि वे अपनी पहचान प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो ऐसे बच्चे को परित्यक्त (abandoned) समझा जाएगा)। दो साक्षी अनिवार्य हैं तथा इनमें से एक साक्षी अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति से परिचित होना चाहिए।

ख) विवाहित दंपती के मामले में, अभ्यर्पण विलेख पर माता और पिता, दोनों के हस्ताक्षर होंगे (दो साक्षियों में से एक साक्षी विवाहित दंपती से परिचित होना चाहिए)

ग) विवाहित दंपती के मामले में, यदि बच्चे का अभ्यर्पण किसी एक जैविक माता या जैविक पिता द्वारा किया जाता है तथा दूसरे माता या पिता के ठिकाने का पता नहीं है तो उस मामले को परित्यक्त बच्चे (Abandoned Child) का मामला समझा जाएगा।

घ) बिना विवाह के जन्म लेने वाले बच्चे का अभ्यर्पण केवल माता द्वारा किया जाएगा [यदि माता अवयस्क (18 वर्ष से कम) है तो किसी अन्य वयस्क (माता-पिता /संरक्षक) का साक्षी होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो बाल देखरेख संस्था (CCI) के प्रभारी को साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे।]

3

ङ) यदि माता-पिता/संरक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो इसे परित्यक्त बच्चे का मामला माना जाएगा।

च) यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनमें से किसी एक के द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

4

माता-पिता/संरक्षकों को पुनर्विचार के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा (अभ्यर्पण विलेख निष्पादित होने की तिथि से)।

5

पुनर्विचार अवधि समाप्त होने पर अभ्यर्पित बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा (बच्चे के नवीनतम फोटो के साथ आदेश पर बाल कल्याण समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे) (अनुसूची-1)

नोट: अभ्यर्पण के मामले में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

- **'धारा"** का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) से है।
- **नियम'** का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016(यथा संशोधित 2022)से है।
- **'विनियम'** का संबंध दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 से है।

Child Legally Free for Adoption (LFA) by CWC

SURRENDERED CHILD (Section 31, 35 & 38; Rule 19 and Regulations 7 & 39)

A child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee, on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee [Section 2(60)]

1 Parent or guardian to produce the child before the CWC

2 Counselling of parents/guardians [guardian defined as per Section 2(31)] for encouraging them to retain the child.

3 Deed of surrender to be executed by the biological parents/guardian on the day of production of child/children (a copy of Deed to be shared with the surrendering parents/person) [Schedule V]

a. In case of female biological parents/unwed mother- Deed of surrender may be executed in the presence of any one female member of CWC (if not willing to disclose their identity, the case to be treated as of abandoned child). Two witness are mandatory and one witness must be known to the person surrendering the child.

b. In case of married couple, the Deed to be signed by both the parents. (One witness must be known to the couple, out of two witness).

c. In case of married couple, surrender by one biological parent and whereabouts of the other parent are not known, to be treated as in case of abandoned child.

d. In case of Child born out of wedlock, surrender to be executed only by the mother (in case the mother is minor (under 18 years), an adult (parent/guardian) as witness is necessary, if doesn't have any one than the CCI In-charge has to sign as witness.)

3

e. In case of Surrender done by a person other than parents/guardians- case to be treated as of abandoned child.

f. In case of Surrender done by a single parent in case of death of a spouse, submission of death certificate is necessary.

4

Reconsideration period of 2 months to be given to parents/guardians (from the date of execution of surrender deed)

5

Declaring the child as legally free for adoption on expiry of reconsideration period (the order along with latest photograph to be signed by at least 3 members of CWC) [Schedule I]

Note: No public notice or advertisement to be issued in the above case
Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee; CCI: Child Care Institution

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021); '
Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022);'
Regulations' related to Adoption Regulations 2022

बच्चे का रेफरल (सामान्य स्वास्थ्य स्थिति)

(निवासी भारतीय (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) के लिए रेफरल चक्र 15 जनवरी, 2024 से सप्ताह में पाँच बार अर्थात सोमवार को प्रातः 10.00 बजे, मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे, बुधवार को दोपहर 12:00 बजे, गुरुवार को दोपहर 01:00 बजे एवं शुक्रवार को दोपहर 02:00 बजे चलाया जा रहा है।)

प्रथम चरण

निवासी भारतीय (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए वरिष्ठता के अनुसार रेफरल।

बच्चे<5 वर्ष = 60 दिन तक

बच्चे> 5 वर्ष या सहोदर = 30 दिन तक

द्वितीय चरण

जो बच्चे प्रथम चरण में आरक्षित नहीं हुए

'7 दिन का टैब'

निवासी भारतीय (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी

नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा बिना वरिष्ठता के सीधे तौर पर आरक्षण।

प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे

तृतीय चरण (Stage-3)

जो बच्चे दूसरे चरण में आरक्षित नहीं हुए

विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) को उनकी वरिष्ठता के अनुसार 15 दिनों के लिए रेफरल

चतुर्थ चरण (Stage-4)

जो बच्चे तीसरे चरण में आरक्षित नहीं हुए

तत्काल प्लेसमेंट टैब (Immediate Placement tab) (वे बच्चे जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है)

निवासी भारतीय (RI)/अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता (Foreign PAPs) द्वारा बिना वरिष्ठता के सीधे तौर पर आरक्षण)

नोट: समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जाएगी जब बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा।

- संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 का विनियम 8
- अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
  Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

Referral of Child (Normal Health Status)

(Referral cycle for RI/NRI/OCI & Foreign PAPs is being executed five days in a week from 15th January, 2024 i.e. Monday at 10:00 AM, Tuesday at 11:00 AM, Wednesday at 12:00 Noon, Thursday at 01:00 PM and Friday at 02:00 PM)

STAGE-I

Referral for RI/NRI/OCI PAPs

as per seniority

Children < 5 years = up to 60 days

Children > 5 years or siblings = up to 30 days

→

STAGE-II

Children not reserved in Stage I

'7 Days Tab'

Direct reservation by RI/NRI/OCI/PAPs Irrespective of their seniority

Every Tuesday at 10:00 P.M.

STAGE-III

Children not reserved in Stage II

Referral for 15 days for Foreign PAPs as per their seniority

→

STAGE-IV

Children not reserved in Stage III

Immediate Placement tab (Children who have not completed 18 years of age)

Direct Reservation by RI/NRI/OCI & Foreign PAPs irrespective of their seniority

Note : Time limit shall be calculated from the date when the certificate issued by the CWC declaring the child as legally free for Adoption is uploaded.

Reference : Regulation 8 of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

RI : Resident Indian, NRI : Non-Resident Indian, OCI: Overseas Citizen of India

PAPs : Prospective Adoptive Parents, CWC : Child Welfare Committee

बच्चे का आरक्षण (विशेष आवश्यकता)

"विशेष आवश्यकताओं वाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो इन विनियमों की अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-E) में दी गई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में यथाउपबंधित किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त है। [दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 का विनियम 2(25)]

प्रथम चरण

अनुसूची XVIII के अनुसार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा अनुसूची-III भाग-E में प्रमाणित किए गए बच्चों को अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर 'विशेष आवश्यकता' वाले टैब में रखा जाएगा।

द्वितीय चरण

निवासी भारतीय (RI)/अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI)/भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) (बिना वरिष्ठता के)	बच्चे 15 दिन तक भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए उपलब्ध रहेंगे

तृतीय चरण

जो बच्चे द्वितीय चरण में आरक्षित नहीं हुए	सभी श्रेणियों के भावी दत्तक माता-पिता (निवासी भारतीय (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बिना वरिष्ठता के सीधे तौर पर आरक्षण)

संदर्भ : दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 का विनियम 8

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

Reservation of Child (Special Needs)

"Special Needs Child" means a child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) as given in Schedule XVIII and Schedule III (Part-E) of these Regulations. [Regulation 2(25) of Adoption Regulations, 2022]

STAGE I

The child shall be made live on Special Needs Tab on designated portal based on Schedule XVIII and Schedule-III Part-E certified by CMO

↓

STAGE II

RI/NRI/OCI PAPs (irrespective of seniority)	Children to be made available for PAPs for 15 days

↓

STAGE III

Children not reserved in Stage-II	All categories of PAPs (Direct Reservation by RI/NRI/OCI & Foreign PAPs irrespective seniority)

Reference : Regulation 8 of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

RI : Resident Indian, NRI : Non-Resident Indian, OCI: Overseas Citizen of India

PAPs : Prospective Adoptive Parents, CWC : Child Welfare Committee

दत्तक-ग्रहण के संबंध में परामर्श

दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में 'परामर्शसेवा' अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे गोद लेने वाले माता-पिता तथा गोद लिए गए बच्चे के बीच स्नेहपूर्ण संबंध बनाने में बहुत मदद मिलती है। यह परामर्श सेवा वास्तव में भावी दत्तक माता-पिता, जैविक माता-पिता और बड़े बच्चों की मदद के लिए ही प्रदान की जाती है।

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति-विशेष को उसकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या परिस्थितिजनित चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, उसकी सहायता की जाती है तथा चिकित्सा संबंधी उपाय भी सुझाए जाते हैं। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है, जिससे वह अपनी उन्नति या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सक्षम हो सके और उस दिशा में स्वयं प्रयास कर सके।

किसी भी विषय में एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञताओं एवं विभिन्न संदर्भों के बीच समन्वय स्थापित किया गया हो। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के परामर्शदाता, अनुभवी दत्तक माता-पिता और बाल कल्याण समिति (CWC) के सदस्य अपने अनुभव और कौशल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया में सहयोग देते हैं।

दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 30(4) और 35(2)(n) में जैविक माता-पिता/ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) और बच्चों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) की भूमिका और राज्य में एक प्रभावी परामर्श प्रणाली स्थापित करने में राज्य के प्राधिकारियों की भूमिका की जानकारी दी गई है।

परामर्श के दौरान वे प्रमुख मुद्दे जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए

जैविक माता-पिता

- अभ्यर्पण(surrender) की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्पित बच्चे के जैविक माता-पिता के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करें।
- उन्हें यह बताएँ कि बच्चे को अभ्यर्पित(surrender) करने के क्या परिणाम होंगे, क्योंकि बाद में उन्हें बच्चा वापस नहीं मिल पाएगा।
- बच्चे को छोड़ने वाले जैविक माता-पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे बच्चे की पृष्ठभूमि और विकास के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें।
- वित्तीय सहायता के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- अविवाहित माता और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखना।
- नाबालिग/अविवाहित माँ की सामाजिक एवं भावनात्मक चुनौतियों को संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना।
- मानसिक रूप से बीमार माता-पिता के मामले में चिकित्सा बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करना।
- बच्चा सौंपने वाले माता-पिता को परामर्श देना और उन्हें यह बताना कि भविष्य में उनके बच्चे द्वारा अपने जैविक माता-पिता के बारे में खोज की जा सकती है।

दत्तक माता-पिता

- उनकी तैयारी के स्तर का आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि दत्तक-ग्रहण उनके परिवार बनाने का एक वैकल्पिक मार्ग है।
- किसी अनजान बच्चे को गोद लेने के लिए उनका मानसिक रूप से तैयार होना तथा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसके आनुवंशिक कारकों के प्रति उनकी चिंताओं को दूर करना।
- यदि बच्चे के बचपन के बुरे अनुभव हों या उसे कोई सदमा लगा हो, तो उन्हें जानना और समझना।
- दत्तक-ग्रहण के बाद माता-पिता और बच्चे के लिए परामर्श महत्वपूर्ण है, ताकि वे किसी संकट का सामना करने से पहले ही उसे सुलझा सकें, जो बाद में विच्छिन्नता (Disruption) या विघटन (Dissolution) का कारण बन सकता है।
- बच्चे को सही उम्र में उसके दत्तक-ग्रहण से जुड़ी जानकारी देना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बड़े बच्चे का दत्तक-ग्रहण करने वाले इच्छुक भावी माता-पिता को और बेहतर तरीके से परामर्श देना।
- भावी दत्तक माता-पिता को गोद लिए जाने वाले बच्चे की मौजूदा भावनात्मक स्थिति और उसकी पढ़ाई-लिखाई के स्तर की जानकारी देना ताकि वे उससे अनावश्यक अपेक्षाएँ न रखें।
- भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को आवश्यक कौशल में प्रशिक्षण देना, ताकि वे बड़े बच्चे से जुड़ सकें और संस्था से बच्चे को घर में लाने के बाद उसके साथ सामंजस्य बैठा सकें।

बड़े बच्चे

- दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि माना जाए।
- प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण, उसकी भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकतों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं; अवकाश एवं मनोरंजक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए।
- किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण; उन्हें सामाजिक मुख्यधारा में लाना और पुनर्वास।
- बड़े बच्चों को दत्तक-ग्रहण के पहले, दत्तक-ग्रहण के दौरान और दत्तक-ग्रहण के बाद मानसिक रूप से तैयार करना। यह विशेष रूप से और भी आवश्यक हो जाता है जब बच्चे के स्वभाव में बदलाव हो, उसे अपने परिचितों से अलग होने की चिंता हो, वह बात-बात में गुस्सा होता हो, भाग जाने की धमकी देता हो या स्कूल जाने से मना करता हो।
- संस्था में अपने दोस्तों और परिचित वातावरण को छोड़ने के कारण उसे जो दुख हो, उसे समझना और हल करना।
- बच्चों के साथ दत्तक-ग्रहण की सफलता की कहानियाँ साझा करना।
- अपने वास्तविक माता-पिता की खोज की प्रक्रिया में उनका समर्थन करना।
- यदि बच्चे के व्यवहार और भावनात्मक स्थिति पर पहले कोई आघात पहुँचा हो तो उसे जानना और उसका समाधान करना।
- बड़े बच्चे जो लंबे समय से परिवार में नहीं रहे हैं तथा संस्थाओं में पले-बढ़े हैं, उन्हें परिवार और पारिवारिक रिश्तों का महत्व बताना।

परामर्श-सत्र में इनका ध्यान रखें :

- बच्चे की पृष्ठभूमि से संबंधित अनावश्यक जानकारी दत्तक माता-पिता को देने से बचें, जिसमें बच्चे के जैविक माता-पिता की पहचान भी शामिल है।
- अवांछित टिप्पणी करने से बचें, जैसे आपको बच्चे को सरेंडर नहीं करना चाहिए; इस बच्चे का पिता कौन है; क्या स्वयं की संतान न हो पाने के कारण आपने दत्तक-ग्रहण का विकल्प चुना है।
- विच्छिन्नता (Disruption) / विघटन (Dissolution) के मामलों में बच्चे को दोबारा दत्तक-ग्रहण/ फॉस्टर केयर में भेजने की जल्दबाजी न करना।
- संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया में गोपनीयता को भंग न करना।

क्या प्रोत्साहित करें :

- जैविक माता-पिता, भावी दत्तक माता-पिता/ बच्चों के साथ आत्मीयता से बात करना।
- विशेष रूप से बच्चों की मनोभावनाएँ समझने के लिए कलात्मक माध्यमों (जैसे कहानी सुनाना/ चित्रकारी करना) का प्रयोग किया जा सकता है,क्योंकि वे प्राय: अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाते हैं।
- कलात्मक माध्यमों में बच्चों को नाटक करने से जोड़ा जा सकता है ताकि वे अपने विचार और भावनाएँ बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकें।
- यदि कोई कठिनाई हो तो अपने से वरिष्ठ व अनुभवी परामर्शदाता से चर्चा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संबंधित मामला सौंप दें।
- अपनी व्यक्तिगत/प्रोफेशनल जानकारी को बढ़ाते रहें (जैसे- नियम–विनियमों में संशोधन, परामर्श के तरीके आदि)।

IMPORTANCE OF ADOPTION COUNSELLING

Counselling in adoption contributes significantly in creating a positive bond between Adoptive Parents and Adopted Children which is designed to help prospective adoptive parents, birth parents and older children.

It is the process of offering guidance, support, and therapeutic interventions to help individuals address and overcome various psychological, emotional, or situational challenges and provide a safe environment to develop coping skills and work towards personal growth or problem resolution.

A multi-disciplinary approach that leverages diverse expertise and perspectives is invaluable. Representatives from Specialized Adoption Agencies (SAAs), counsellors from District Child Protection Units (DCPUs), experienced adoptive parents, and members of Child Welfare Committees (CWCs) each bring unique insights and skills to the counselling process.

Regulation 30(4) and 35(2)(n) of Adoption Regulations 2022 elaborates on the role of Specialized Adoption Agencies (SAAs) in providing counselling services to biological parents/ Prospective Adoptive Parents (PAPs) & children and the role of state authorities in ensuring that a robust counselling system is established in the state.

The key issues to be addressed during the counseling

Biological Parents

- Treat biological parents of a surrendered child with respect and dignity throughout the surrender process.
- Educating them about consequences of surrender, as it is irrevocable.
- Encourage the biological parents surrendering a child to provide maximum information about the background and development of the child as well as their own health.
- Connecting them with government schemes for financial support.
- Maintain confidentiality of unwed mother and biological parents.
- Socio-emotional challenges of a minor/unwed mother to be dealt sensitively.
- Seeking clearance of medical board in case of mentally ill parents.
- Counsel the surrendering parents and inform them about a possible root search, in future by their child.

Adoptive Parents

- Ascertain the level of their preparedness and reinforce that acceptance of adoption is an alternative way of building their family.
- Emotional readiness to adopt an unrelated child and concerns about the social background of the child and genetic factors.
- Understanding the adverse childhood experiences/ trauma of the child.
- Post adoption counselling necessary for parents and child much before they reach a crisis resulting in disruption or dissolution.
- Sharing the facts of adoption at an appropriate age with the child.
- Additional support extended to PAPs willing to adopt a special needs child or older child.
- Making PAPs aware of the current emotional and educational level of the adoptive child to set realistic expectations.
- Training PAPs in required skill set to connect with the older child so that required support for transition from institution to home can be provided.

Older Chilren

- The Child's best interests shall be of paramount consideration, while processing any adoption placement.
- Protection and well-being of every child, emotional and psychological needs, educational and training needs; leisure and recreational activities.
- Protection from any kind of abuse, neglect and exploitation; social mainstreaming and restoration.
- Preparing older children before, during and post adoption, especially when there is change in mood, separation anxiety, anger outbursts, threaten of running away or refusal to go school.
- Addressing the perceived loss and grief of leaving their friends and familiar life of institution.
- Sharing success stories of adoption with children
- Supporting them in the process of root search.
- Recognizing and addressing the impact of past trauma on child's behaviour and emotional state.
- Older children who have not been part of the family structure for a long time and have grown up in institutions needs to be taught about importance of family and family dynamics.

What to avoid during counseling sessions?

- Avoid sharing irrelevant details of child's background including identity of biological parents with the adoptive parents.
- Avoid intrusive remarks like- You should not be surrendering the child; Who is the father of this child; So are you choosing adoption because of infertility issues etc.
- Do not rush to place the child back in adoption/ foster care in cases of disruption/dissolution.
- Maintain confidentiality throughout the process. fidentiality throughout the process

What to encourage:

- Provide an empathetic environment to biological parents/PAPs/children.
- Use art medium (story telling/drawing) to understand the emotional state of the client, especially children as they may not be able to articulate their thoughts verbally.
- While using art medium children can also be engaged in play therapy to help them express their feelings and thoughts through various mediums of play.
- Discuss with your seniors and hand over the case to another experienced counsellor if it gets difficult to handle.
- Update personal/ professional skills, knowledge base (amendments in rule-regulations / modalities of counselling etc.)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दत्तक-ग्रहण
Adopting children having Special Needs

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे बोझ नहीं हैं ; वे एक वरदान हैं। वे हमें धैर्य, करुणा और निःस्वार्थ स्नेह करना सिखाते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया को समझना

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Special Needs Children)' से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किसी दिव्यांगता से पीड़ित है तथा जिसका उपबंध इन विनियमों की अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग-E) में किया गया है [विनियम 2(25)]। परिवार के बिना ये बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसके लिए उन्हे भावनात्मक सहयोग, चिकित्सा या किसी उपचार की आवश्यकता होती है।

- बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति या तो दीर्घकालिक हो सकती है या उन्हें निरंतर उपचार और उसके बाद देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।
- यह भी हो सकता है कि बच्चों को पहले कभी किसी आघात का सामना करना पड़ा हो।
- विशेष आवश्यकता वाले ऐसे कई बड़े और किशोर बच्चे हैं, जिन्हें गोद नहीं लिया गया है।
- यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जल्दी कोई परिवार नहीं मिल पाता, तो वे बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में रहने के लिए विवश हो जाते हैं और अन्य बच्चों की तुलना में पीछे रह जाते हैं।

दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के प्रावधान

- मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को 'विशेष आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे' की स्वास्थ्य स्थिति को प्रमाणित करने और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों के उपचार को प्रोत्साहित करने का दायित्व दिया गया है। [विनियम 37]
- भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' के दत्तक-ग्रहण में दी गई छूट:
  - जो भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' या उन बच्चों को गोद लेने के इच्छुक हैं जो 'दत्तक-ग्रहण में कठिनाई' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आयु मानदंड में छूट दी गई है [विनियम 41(16)]।
  - जब भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) CARINGS पर अपलोड हो जाती है तो वे सीधे तौर पर 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' को आरक्षित (reserve) कर सकते हैं, चाहे उनकी वरिष्ठता कुछ भी हो।
  - जिन भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) ने शुरू में सामान्य स्वास्थ्य स्थिति वाले बच्चे को प्राथमिकता दी हो, तो भी वे 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' को गोद ले सकते हैं [विनियम44 (8)]।

- दो या उससे अधिक बच्चों वाले भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) सामान्य स्वास्थ्य स्थिति वाले बच्चे को गोद लेने के पात्र नहीं हैं, लेकिन वे 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' को गोद ले सकते हैं [विनियम 5 (7)]।
- भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है और वे आरक्षण (reservation) के तुरंत बाद दत्तक-ग्रहण एजेंसी में जा सकते हैं और गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि माता-पिता अपने बच्चे को आरक्षित (reserve) करने के बाद उसे न लेने का निर्णय करते हैं, तो भी इससे उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

भावी दत्तक माता-पिता को प्रोत्साहित करना

भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चे' को गोद ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें सही व संपूर्ण जानकारी दी जाए, उन्हें वात्सल्य व स्नेह भाव से गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए तथा ऐसे बच्चों के साथ आने वाली अलग प्रकार की चुनौतियों व जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाए। इसके लिए जरूरी है:- दत्तक-ग्रहण से पूर्व एवं उसके उपरांत परामर्श, भावनात्मक रूप से तैयार करना, आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था, स्वास्थ्य-चिकित्सा व उपचार की सुविधा, दीर्घकालिक योजना, नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, सामाजिक सहयोग, जन-जागरूकता के कार्यक्रम, सहोदर भाई-बहनों के लिए साधन व सुविधाएँ।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करें

- उन्हें अन्य बच्चों के समान शिक्षित और पोषित करें।
- उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
- उन्हें सामान्य महसूस कराएँ और उनके साथ नियमित रूप से खेलें।
- विशेषज्ञों और अन्य अभिभावकों से नियमित रूप से संपर्क में रहें।
- शुरुआत में जो डर और हिचकिचाहट होती है, उसे दूर करने के लिए बातचीत करें।
- उनके साथ रहकर उन्हें अपनेपन का अहसास करवाएँ।

बच्चे के दत्तक-ग्रहण के लिए CARINGS पोर्टल पर पंजीकरण करें : carings.wcd.gov.in

"Let's bring home the blessings!"

Adopting children having Special Needs

Special needs children are not a burden; they are a blessing. They teach us patience, compassion, and unconditional love.

Understanding Adoption of Children having Special Needs

"Special Needs Child" means a child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 as given in schedule XVIII and schedule III (Part-E) of Adoption regula tions 2022 [Regulation 2(25)].These children without family, face physical, mental, emotional or developmental challenges that require emotional, medical or therapeutic attention.

- The children can have medical conditions that are either chronic or require ongoing treatment and follow up.
- Children might have faced trauma in the past.
- Many older children and adolescents who are not adopted have special needs.
- Special needs children may get left behind and languish in Child Care Institutions, if they do not find family early.

Provisions of Adoption Regulations 2022

- Chief Medical Officers (CMO) have been entrusted to certify the health status of any child as having special needs and also encourage treatment of such children under various schemes of government. (Regulation 37)
- Rules relaxed for Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt children having Special Needs:
  - Flexibility of age criteria for prospective adoptive parents adopting special needs children or children who fall into the hard-to-place category [Reg. 41(16)]
  - They may reserve a Special Needs Child through direct reservation irrespective of seniority as soon as their Home Study Report (HSR) is uploaded on CARINGS.
  - They can opt for Special Needs Child even if they had initially given their preference for a Child having normal health status. [Regulation 44 (8)]

- PAPs having two or more children are not eligible to adopt a child with normal health status, however, they are permitted to adopt a child having special needs. [Regulation 5 (7)].
- There is no waiting period to adopt such children and the parents can visit the adoption agency soon after reservation and complete the adoption process. If parents decide not to take custodyof child after reserving them, it has no bearing on their seniority.

Preparing PAPs

Preparing prospective adoptive parents (PAPs) to adopt special needs requires education, empathy, and preparation for unique challenges. Key strategies include pre & post adoption counseling, emotional preparation, support network building, health and therapy access, long-term planning, regular follow-up and support, community and social integration, and awareness events and resources for sibling relationship.

Express your Love for a Special Needs Child

- Educate and nurture them at par with other kids.
- Try to understand their emotions.
- Make them feel normal and play with them regularly.
- Connect with experts and other parents regularly.
- Interact to overcome initial fears.
- Build close relationship by being available.

To adopt a child, Login to CARINGS: caringS.wcd.gov.in

“Let’s bring home the blessings!”

विच्छिन्नता और विघटन

विच्छिन्नता (Disruption) और विघटन (Dissolution) क्या है ?

विच्छिन्नता (Disruption) : इससे अभिप्रेत है कि विधिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, बच्चे और दत्तक-कुटुंब दोनों के स्थानन (placement) के पश्चात एक-दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक-कुटुंब से बच्चे का अमेल होना। [विनियम 2(9)]

विघटन (Dissolution) : इससे अभिप्रेत है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त होने के पश्चात, बच्चे और दत्तक-कुटुंब दोनों का एक-दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक-ग्रहण को विधिक रूप से निष्प्रभावी किया जाना। [विनियम 2(10)]

देश में दत्तक-ग्रहण में विच्छिन्नता और विघटन की प्रक्रिया क्रमशः दत्तक-ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 14 (5) और 14 (6) में निर्दिष्ट है।

प्रक्रिया:

1. समायोजन न होने की स्थिति में, भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) / दत्तक माता-पिता (APs) आदतन निवास स्थान के संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) / विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही जिस विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) से बच्चे को दत्तक-पूर्ण पोषण देखरेख (PAFC) में लिया गया था, उसे भी सूचित किया जाएगा।

2. सूचना मिलने पर, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) और बच्चे (यदि बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक है) के लिए दो परामर्श सत्रों की व्यवस्था की जाएगी।

3. यदि परामर्श से सफलता नहीं मिलती है, तो बच्चे को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) में वापस ले जाया जाएगा, जिसने मामले पर कार्रवाई की है । इसकी सूचना संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)और राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भी की जाएगी।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक-पूर्व पोषण देख-रेख (PAFC) में दिया था।

5. यदि आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष दाखिल किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी और अभिकरण को पूर्व-सूचना के साथ इसे तुरंत वापस ले लिया जाएगा।

6. यदि दत्तक-ग्रहण का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है (विघटन/dissolution), तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वाराउसे अनुसूची XXXIV के अनुसार निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया जाएगा।

7. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक-ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक-पूर्व पोषण देख-रेख (PAFC) में दिया था।

पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया :

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) का स्तर -SAA द्वारा विच्छिन्नता / विघटन के लिए बच्चे के प्रोफ़ाइल को तुरंत अपडेट किया जाता है। SAA द्वारा विच्छिन्नता / विघटन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ भी अपलोड किए जाते हैं।

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) का स्तर -DCPU द्वारा जानकारी के साथ-साथ अपलोड किए गए दस्तावेज़ को सत्यापित किया जाता है।

राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) का स्तर– SARA द्वारा प्रोफ़ाइल को सत्यापित किया जाएगा और अपना अनुशंसा पत्र (recommendation letter) अपलोड किया जाएगा।

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का स्तर –CARA द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरे मामले का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी : यदि दत्तक माता-पिता विच्छिन्नता (Disruption) या विघटन (Dissolution) के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उन्हें दत्तक-ग्रहण से वर्जित कर दिया जाएगा।

*यदि बच्चे में विशेष आवश्यकताएँ पाई जाती हैं और भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहते, तो रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती।

•अभिहित पोर्टल : बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

DISRUPTION & DISSOLUTION

WHAT IS DISRUPTION & DISSOLUTION?

Disruption: It means the child being unmatched from the adoptive family due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other after placement, but prior to the completion of the legal process of adoption [Regulation 2(9)]

Dissolution: It means the annulment of the adoption legally, due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other, after the adoption order has been obtained from the DM [Regulation 2(10)].

The procedure of Disruption and Dissolution in In-country adoption is specified in the Regulation 14(5) &14(6) of the Adoption Regulation 2022 respectively.

PROCEDURE:

1. In case of non-adjustment, PAPs/Adoptive Parents shall report to the DCPU/SAA concerned in the place of habitual residence and also intimate the Adoption Agency from where the child taken in PAFC.

2. Once intimated, DCPU/SAA shall arrange two counselling sessions of the PAPs and the child (in case the child is above 5 years) to explore the possibility of reconciliation.

3. In case the counselling is not successful, the child shall be taken back to the Adoption Agency which processed the case under intimation to DCPU and SARA concerned.

4. The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.

5. In case the application has been filed with the DM, it shall be withdrawn immediately with prior intimation from the concerned authorities/agencies.

6. If adoption order has already been issued (dissolution), DM shall issue an annulment order as per Schedule XXXIV.

7. The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.

ONLINE PROCESS ENABLED:

SAA level – SAA shall immediately update the profile of the child for disruption/dissolution. SAA should also upload all the documents required for disruption / dissolution.

DCPU level - DCPU shall verify the information as well as the documents uploaded.

SARA level – SARA shall verify the profile and upload its recommendation letter

CARA level – CARA shall make a final assessment before taking final decision.

NOTE: If the adoptive parents are found to be the cause of the disruption or dissolution, they shall be barred from the adoption.

Report is not required when the child is found to be having Special Needs and the PAPs do notwant to continue.

Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत गोद लिए गए बच्चों को माता-पिता द्वारा विदेश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया (17.09.2021 के उपरांत)

1. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।
2. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जाँच करना।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को अपलोड करना। (अनुसूची XXI और अनुसूची XXXVI)
4. प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण विलेख को अपलोड करना।
6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र (Verification Certificate) जारी करना और उसे अपलोड करना। (अनुसूची XXXVएवं अनुसूची XXXVI)
7. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।

- **संदर्भ :** दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय VIII (विनियम 64-71)
- **अभिहित पोर्टल :** बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

Procedure for children adopted under HAMA, 1956 by parents who desire to relocate the child abroad (post 17.09.2021)

1. Home Study & registration of NRI/OCI PAPs on Designated Portal by AFAA/CA/IDM
2. Initial Scrutiny of documents by CARA
3. DCPU uploads Family Background Report (Schedule XXI & Schedule XXXVI)
4. AFAA/CA/IDM uploads Documents as per Article 5/ 17 of Hague Convention.
5. DCPU uploads Adoption Deed
6. DM issues & uploads Verification Certificate (Schedule XXXV& XXXVI)
7. CARA issues NOC and Conformity Certificate

Reference : Chapter VIII (Regulation 64-71) of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal : Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

1. फॉस्टर केयर की प्रक्रिया

(क) फॉस्टर केयर की प्रक्रिया

- पोर्टल पर फॉस्टर माता-पिता के द्वारा स्व-पंजीकरण किया जाएगा।
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) माता-पिता/ बच्चे से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करेगी।
- बच्चे और भावी फॉस्टर माता-पिता के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष रखे जाएंगे।
- जिस ज़िले में बच्चा रह रहा है, वहाँ की ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बच्चे की क्षेत्रीयता के अनुरूप, संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) के अनुमोदन से बच्चे का भावी फॉस्टर माता-पिता से मिलान करेगी।
- बाल कल्याण समिति (CWC) फॉस्टर केयर का आदेश, फॉर्म 32 के अनुसार जारी करेगी।
- फॉस्टर परिवार द्वारा वचनबंध (Undertaking) पर हस्ताक्षर: फॉर्म 33 के अनुसार किया जाएगा।
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) सभी दस्तावेज़ अपलोड करेगी।

(ख) फॉस्टर दत्तक-ग्रहण

- ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) दत्तक-ग्रहण के प्रस्ताव की अनुशंसा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) से करेगी।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) यह प्रस्ताव अनुशंसा के साथ केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को भेजेगा।
- केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी कर प्रस्ताव को वापस राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भेजेगा।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) प्रस्ताव को ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के पास भेजेगा।
- संबंधित जिलाधिकारी (DM) के कार्यालय से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने हेतु ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एक आवेदन पत्र दाखिल करेगा।
- जिलाधिकारी (DM) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश जारी किया जाएगा।
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
- दत्तक-ग्रहण के उपरांत ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अनुवर्ती कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जारी करेगी।

1. Procedure for Fostering a Child

A FOSTER CARE

- Self- registration by Prospective Foster Parents (PFPs) on the portal .
- Parent/ Child related documents to be uploaded by DCPU.
- All requisite documents in respect of the child and the PFP will be placed before CWC.
- The DCPU, where the child resides, will match the child with PFPs with the approval of the concerned CWC.
- Order of foster care placement by CWC, Form 32.
- Undertaking by the foster family: Form 33.
- DCPU to upload all the documents.

B FOSTER ADOPTION

- DCPU to recommend the proposal to SARA.
- SARA to recommend the proposal to CARA.
- CARA to issue pre-approval letter and revert the proposal back to SARA.
- SARA to forward the proposal to DCPU.
- DCPU to file an adoption application in the office of DM for procuring Adoption order.
- Issuance of Adoption Order.
- DCPU concerned to facilitate the issuance of birth certificate of child.
- Post-adoption follow-up report by concerned DCPU.

2. पोर्टल पर भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) द्वारा स्व-पंजीकरण के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़।

(i) वर्तमान पारिवारिक फोटो या उस व्यक्ति की तस्वीर जो बच्चे की फॉस्टर देखरेख करना चाहता हो।

(ii) पहचान का प्रमाण : भावी फॉस्टर माता-पिता का पैन कार्ड व आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ वोटर कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण-पत्र और पैनकार्ड (अनिवार्य)।

(iii) जन्म प्रमाण-पत्र या माता-पिता की जन्म तिथि का प्रमाण, जैसे मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) का प्रमाण-पत्र।

(iv) चिकित्सा जाँच प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि भावी फॉस्टर माता-पिता किसी पुरानी, संक्रामक या घातक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं और वे जे.जे. नियम 2016 (2022 में संशोधित) के नियम 23(12) के अनुसार बच्चे की देखभाल करने के लिए स्वस्थ हैं।

(v) निवास का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वर्तमान बिजली बिल या टेलीफोन बिल।

(vi) आय का प्रमाण (वेतन पर्ची, सरकारी विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, या आयकर रिटर्न)।

(vii) विवाह प्रमाण-पत्र या सक्षम न्यायालय से तलाक का आदेश या घोषणा या व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित तलाक के मामलों में तलाक से संबंधित शपथ पत्र, जहाँ तलाक का आदेश अनिवार्य नहीं है, या पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, जो भी लागू हो।

(viii) सत्यापन हेतु समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्तियों से दो उद्धरण।

2. Documents to be uploaded by PFP during Self-registration by Prospective Foster Parents (PFPs) on the portal

(i) **Current family photograph** or photograph of a person who wishes to foster a child.

(ii) **Proof of Identification:** PAN Card, Aadhar Card or Passport or Voter Card or Driving License of the prospective foster parents or Birth Certificate, and PAN Card (mandatory).

(iii) **Birth certificate** or proof of the date of birth of the parent(s), such as matriculation certificate.

(iv) **Medical fitness certificate** (s) certifying that the prospective foster parents do not suffer from any chronic, contagious, or fatal disease and they are fit to take care of the child as mentioned in Rule 23 (12) of the JJ Rules 2016 (amended in 2022).

(v) **Proof of residence:** Aadhar Card or voter card or passport or current electricity bill, or telephone bill.

(vi) **Proof of income** from last year (salary slip, income certificate issued by the Govt. department, or income tax return).

(vii) **Marriage Certificate or Divorce Decree** or Declaration from the competent court or an affidavit on oath pertaining to divorce in cases of divorce governed by personal law where a decree of divorce is not mandatory, or a death certificate of the spouse, whichever is applicable.

(viii) **Two references** from individuals of good standing in the community for verification.

3. भावी फॉस्टर माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड

- वह शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए।
- वह किसी प्राण घातक चिकित्सीय स्थिति सेन गुज़र रहे हों और किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होने चाहिए।
- एकल, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुए व्यक्ति – यह सभी पात्र हैं।
- विवाहित दम्पति भारतीय नागरिक होने चाहिए, तथा दोनों पति-पत्नी एक ही बच्चे की देखरेख करने के लिए सहमत और इच्छुक होने चाहिए।
- एकल महिलाएं किसी भी लिंग के बच्चे को फॉस्टर करसकती हैं। एकल पुरुष बालिकाओ को फॉस्टर नहीं कर सकते।
- दम्पतियों के बीच कम-से-कम 2 वर्ष का स्थायी वैवाहिक संबंध होना चाहिए।
- अंतिम चयन बच्चे की सहमति और पालन-पोषण के माहौल के आधार पर किया जाएगा।
- पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) पात्र नहीं होंगे।

फॉस्टर देखरेख के लिए पात्र बच्चे

- वह सभी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP) (छह वर्ष की आयुसेअधिक) जो बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) में या समुदायिक देखरेख में रह रहे हैं, फॉस्टर के यर के लिए पात्र हैं। इनमें यह श्रेणियां भी शामिल हैं - 'जिन बच्चों से कोई मिलने नहीं आता' और 'जिन बच्चों के संरक्षक/ माता-पिता अक्षम हैं'।
- दत्तक ग्रहण विनियम के अनुसार विशे ष आ वश्यक ता वा ले बच्चों (Special Needs Children) एवं जिन बच्चों का दत्तक-ग्रहण चुनौतीपूर्ण (Hard to Place) है, उन्हें फॉस्टर देखरेख की आवश्यकता है।

बच्चे की उम्र	भावी फॉस्टर माता-पिता की न्यूनतम आयु		भावी फॉस्टर माता-पिता की अधिकतम आयु	
	विवाहित दत्तक की सम्मिलित आयु	अविवाहित दत्तक	विवाहित दत्तक की सम्मिलित आयु	अविवाहित दत्तक
6-12 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए	70 वर्ष	35 वर्ष	110 वर्ष	55 वर्ष
12-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए	70 वर्ष	35 वर्ष	115 वर्ष	60 वर्ष
बशर्ते माता-पिता में से किसी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम न हो				

3. Eligibility Criteria for Prospective Foster Parents

- Must be physically, emotionally, mentally and financially capable.
- Shall not have life-threatening medical conditions or criminal convictions.
- Single, unmarried, widowed, divorced, or legally separated individuals are all eligible.
- Married couples must be Indian citizens, with both spouses consenting and willing to foster the same child
- Single females can foster the child of any gender; single males cannot foster girls.
- Stable marital relationship of at least 2 years is mandatory for couples.
- Final selection is based on child's consent and fostering environment.
- Prospective Adoptive Parents (PAPs) already registered on CARINGS are not eligible.

Children Eligible For Foster Care

- All children in Need of Care and Protection (above the age group of six years) living in CCIs or living in Community including 'children with no visitation' and 'children having unfit guardians' are eligible to be fostered in a fit family.
- Hard to place children or children having special needs are eligible for foster care as provided in the Adoption Regulations.

Age of child	Minimum age of PFPs		Maximum age of PFPs	
	Composite age of married couple	Single	Composite age of married couple	Single
Above 6 years and upto 12 years	**70 years**	**35 years**	**110 years**	**55 years**
Above 12 years and upto 18 years	**70 years**	**35 years**	**115 years**	**60 years**
Provided that minimum age of each parent shall not be less than 35 years.				

4. प्रोटोकॉल/ प्रक्रिया - फॉस्टर केयर से फॉस्टर दत्तक-ग्रहण की ओर - केयरिंग्स

भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) केलिए प्रक्रिया

1. भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) केयरिंग्स पोर्टल पर स्व-पंजीकरण करते हैं।
2. भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) से संबंधित दस्तावेज केयरिंग्स में उनके द्वारा स्वयं अपलोड किए जाते हैं।
3. भावी फॉस्टर माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर DCPU द्वारा तैयार और अपलोड की जाती है।

* भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) तत्काल आरक्षण और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले अन्य बच्चों को पोर्टल पर देख सकते हैं व उन्हें आरक्षित कर सकते हैं।

बच्चों के लिए प्रक्रिया

4. “नो विजिटेशन” और “अनफिट पैरेंट्स /गार्जियन” की श्रेणी वाले बच्चों का पंजीकरण DCPU द्वारा किया जाता है।
5. बच्चे की तस्वीर अपलोड की जाती है। बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट (फॉर्म 22) और व्यक्तिगत देखरेख योजना (फॉर्म 7) DCPU द्वारा तैयार की जाती है और केयरिंग्स पर अपलोड की जाती है।

मिलान प्रक्रिया

6. DCPU केयरिंग्स में अपने राज्य के सभी बच्चों और भावी फॉस्टर माता-पिता (PFP) को देख सकता है, लेकिन PFP के साथ बच्चों का मिलान केवल उसी जिले के DCPU द्वारा किया जा सकता है, जहाँ बच्चा अवस्थित है।
7. मिलान करते समय DCPU को दिनांक 'से और तक' - इन दोनों प्रारूपों में "फॉस्टर देखभाल की अवधि" जमा करनी होगी। साथ ही "PFP द्वारा वचनबद्धता" (फॉर्म 33) और "CWC का फॉस्टर देखरेख प्लेसमेंट" आदेश (फ़ॉर्म 32) भी जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, DCPU CWC का मासिक निरीक्षण (फॉर्म 35) अपलोड करेगा।

फॉस्टर दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

8. फॉस्टर दत्तक-ग्रहण केवल फॉस्टर केयर अवधि के 2 वर्ष सफलतापर्वूक पूरा होने के बाद ही सक्रिय होगा, बशर्ते कि बच्चे के LFA प्रमाणन के साथ PFP और बच्चे, दोनों का सहमति पत्र अपलोड किया गया हो।
9. मामले को सफलतापर्वूक निष्पादित करने के बाद, यह सत्यापन के लिए SARA के स्तर पर दिखाई देगा, जिसके बाद यह पूर्व -अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के लिए CARINGS पोर्टल पर दिखाई देगा।
10. CARA द्वारा पर्वू-अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के बाद, मामला CARINGS पर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के लिए DCPU के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है।

4. Protocol /Procedure - Foster care leading to Foster Adoption – CARINGS

PROCESS FOR PROSPECTIVE FOSTER PARENTS (PFPs)

1. Prospective Foster Parents (PFPs) do self-registration on CARINGS portal.
2. Documents related to Prospective Foster Parents (PFPs) are uploaded in CARINGS by the PFPs themselves.
3. Home Study Report (HSR) of the prospective foster parents is conducted and uploaded by DCPU within 30 days of receipt of application.

   * PFPs can view and reserve children of immediate placement and having special needs, along with other children in need of care and protection whose age is greater than 6 years.

PROCESS FOR CHILDREN

4. Registration of "No Visitation" and "Unfit Parent/Guardian" children is done by DCPU.
5. Photograph of the child is uploaded. Social Investigation Report (Form 22) and Individual Care Plan (Form 7) of the child is prepared and uploaded on CARINGS by DCPU.

MATCHING PROCESS

6. DCPU is able to see all children and PFPs of his state in CARINGS, but matching of children with the PFPs can only be done by the DCPU where the child is located.
7. When matching, DCPU must submit "Duration of Foster Care" in both the 'from and to' format, as well as "Undertaking by PFP" (Form 33) and "CWC's Foster Care Placement" order (Form 32). Additionally, DCPU will upload CWC's monthly inspection (form 35).

PROCESSING FOSTER ADOPTION

8. Foster adoption will be active only after 2 years of successful completion of foster care duration subject to uploading of LFA certification of the child and consent letter of both PFPs and child.
9. After successfully processing the case, the case will be visible at SARA's end for verification. Further, the case will reflect in CARINGS portal for issuance of pre-approval letter.
10. After pre-approval letter is issued by CARA, the case is forwarded to District Magistrate via DCPU for issuance of Adoption Order on CARINGS.

#FosterChildFindFamily

CARA

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Govt. of India

https://carings.wcd.gov.in/
CARA Helpline No: 1800-11-1311
8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri) except Gazetted Holidays
CARA Helpdesk e-mail: carahdesk.wcd@nic.in